झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग–5

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक 22 फाल्गुन, 1936 (श0) / 13 मार्च, 2015 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी तारांकित संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गयी तिथि
01	02	03	04	05	06
77.	अ0सू0 33	श्री बादल	आपदा प्रबंधन के लिए अलग से कैडर	आपदा	04.03.2015
78.	अ0सू0–14	श्री अशोक कुमार	अविलंब स्वास्थ्य केन्द्र चालू करना।	स्वास्थ्य	01.03.2015
79.	अ0सू0- 30	श्री राज सिन्हा	राज्य में भूमिदस्तावेजों को ऑनलाईन करना	राजस्व एवं भूमि सुधार	04.03.2015
80.	अ0सू0–11	श्री दीपक बिरूवा	खासमहल भूमि का लीज नवीनीकरण	राजस्व एवं भूमि सुधार	01.03.2015
81.	अ0सू0–10	श्री जानकी प्र0 यादव	विस्थापितों के लिए पुनर्स्थापन नीति	राजस्व एवं भूमि सुधार	01.03.2015
82.	अ0सू0–28	श्रीमती मेनका सरदार	आई0टी0आई0 संस्थान खोलना।	श्रम नियोजन	04.03.2015
83.	अ0सू0 -49	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	चिकित्सकों की नियुक्ति	स्वास्थ्य	27.02.2015
84.	अ0सू0 -41	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना।	स्वास्थ्य	04.03.2015
85.	अ0सू0- 42	श्री गंगेश्वर महतो	अभियंताओं और संवेदकों पर कार्रवाई	स्वास्थ्य	04.03.2015
86.	अ0सू0–40	श्री जगरनाथ महतो	अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य	04.03.2015
87.	अ0सू0–13	श्री केवल हंसदा	स्वास्थ्य केन्द्र में टेक्नीशियन	स्वास्थ्य	01.03.2015

क्र0पृ0उ0–

01	02	03	04	05	06
88.	अ0सू0–21	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	उप रामहत्ता एवं अंचल अधिकारी का पदस्थापन	राजस्व एवं भूमि सुधार	04.03.2015
89.	अ0सू0–16	श्री अरुण बनर्जी	आश्रितों को मुआवजा	आपदा	01.03.2015
90.	अ0सू0–05	श्रीमती जोबा मांझी	आई0टी0आई0 प्रशिक्षण प्रारम्भ कराना	श्रमनियोजन	26.02.2015
91.	अ0सू0–03	श्री अमित कुमार	सर्वे में बेदिया जाति का नाम दर्ज कराना	राजस्व एवं भूमि सुधार	26.02.2015
92.	अ0सू0–24	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चालू कराना	स्वास्थ्य	04.03.2015
93.	अ0सू0–34	श्री राज सिन्हा	ऐसिड जैसे अमानवीय कृत्य पर प्रतिबंध	स्वास्थ्य	04.03.2015
94.	अ0सू0–01	श्री अमित कुमार	सी0एन0टी0 एक्ट का उल्लंघन	राजस्व एवं भूमि सुधार	26.02.2015
95.	अ0सू0–43	श्री योगेन्द्र प्रसाद	आई0टी0आई0 कॉलेज चालू करना	श्रमनियोजन	04.03.2015
96.	अ0सू0–12	श्री केदार हजरा	चिकित्सक का पदस्थापन	स्वास्थ्य	01.03.2015
97.	अ0सू0–36	श्री विकास कु0 मुण्डा	अर्धनिर्मित अस्पताल का निर्माण	स्वास्थ्य	04.03.2015
98.	अ0सू0–07	श्री नलिन सोरेन	पी0एच0सी0 में चिकित्सकों की नियुक्ति	स्वास्थ्य	27.02.2015
99.	अ0सू0–29	श्री भानु प्रताप शाही	ट्रामा सेंटर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चालू कराना	स्वास्थ्य	04.03.2015
100.	अ0सू0–38	श्री भानु प्रताप शाही	आई0टी0आई0 कॉलेज में शिक्षण प्रारम्भ कराना	श्रम नियोजन	04.03.2015
101.	अ0सू0–08	श्री प्रदीप यादव	सफल अनुदेशकों की बहाली	श्रम नियोजन	27.02.2015
102.	अ0सू0–06	श्री नलिन सोरेन	चिकित्सकों की नियुक्ति एवं जीवन रक्षक दवा	स्वास्थ्य	27.02.2015
103.	अ0सू0–20	श्री एलेनजोसेफ गॉलरस	चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना	स्वास्थ्य	04.03.2015
104.	अ0सू0–39	श्री योगेन्द्र प्रसाद	आई0टी0आई कॉलेज चालू कराना	श्रम नियोजन	04.03.2015
105.	अ0सू0–02	श्री अशोक कुमार	पुश्तैनी जमीन राज्य सरकार के कब्जे में लाना	राजस्व एवं भूमि सुधार ।	26.02.2015

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

राँची
दिनांक 09 मार्च,2015 (ई0)।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्या–प्रश्न-07/2015 835 /वि0स0.रांची,दिनांक– 09 मार्च 2015 ई0

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 9/3/15

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न-07/2015 835 /वि0स0,रांची,दिनांक– 09 मार्च 2015 ई0

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 9/3/15

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची

9/3/15

बसाढ़र/

(77)

श्री बादल, रा०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या--अ०सू० 33	माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची ।
क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए अलग से अब तक कोई कैडर नहीं होने से किसी आपदा की स्थिति में कुशल प्रबंधन में कठिनाई होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार राज्य में कुशल आपदा प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिलास्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार कार्यरत है । तदनुसार राज्य में आपदा प्रबंधन की जाती है।
2. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में आपदा से निपटने के लिए अलग से कैडर गठन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार कार्यरत है। अतः अलग से कैडर गठन के प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

झारखंड सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक: 05/आपदा(विधायी)–10/2015 343 /अ०प्र०, राँची, दिनांक 11/03/15

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक -/ख/वि०स०, दिनांक 04.03.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में तथा सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शैलेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(78)

श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 13-03-2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–14 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री अशोक कुमार, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्था० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत महगामा प्रखण्डान्तर्गत सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघाड़ी (30 शैय्या) जो विगत पाँच वर्षों से तैयार है परन्तु कार्यरत नहीं है ?	अस्वीकारात्मक। सिंघाड़ी में 6 शैय्या वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण किया गया है।
2-	क्या यह बात सही है कि वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र बंद रहने के कारण आम लोग चिकित्सा लाभ वंचित हो रहे है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। सिंघाड़ी से 2 कि०मी० की दूरी पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बाजीतपुर एवं 5 कि०मी० की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महगामा कार्यरत है अतः आमलोगों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
3-	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र को अविलम्ब चालू करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र को चालू करने हेतु पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उत्कल को गाह के अन्दर प्रतिनियुक्ति के आधार पर इसे चालू कराया जा सकता।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–08–02/15 89(15) राँची, दिनांक- 11.3.15

प्रतिलिपि : ऊपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 330 दिनांक– 01-03-15 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के संयुक्त सचिव

(79)

श्री राज सिन्हा, स.वि.स. द्वारा दिनांक–13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं.–अ.सू. –30 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में जमीन म्यूटेशन के आवेदनों को निष्पादित करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जिसके कारण पूरे राज्य में एक लाख से भी अधिक म्यूटेशन संबंधी आवेदन लंबित है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। दाखिल–खारिज नियमावली के नियम–14 के अन्तर्गत आपत्ति रहित मामलों का निष्पादन 30 दिन में एवं आपत्ति सहित मामलों का निष्पादन 90 दिनों में किया जाता है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस विलंब के लिए दोषी पदाधिकारीयों पर कार्रवाई करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा भूमि दस्तावेजों को ऑनलाईन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। विभाग द्वारा सभी जिलों को नियमानुसार दाखिल खारिज मामलों के निष्पादन का निदेश दिया जाता रहा है एवं मासिक बैठक में इसकी समीक्षा भी की जाती है। इस संबंध में अनियमितता के मामले प्रकाश में आने पर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के 24 जिलों में लगभग 23.5 लाख खाता है। भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के तहत लगभग 7,29,000 (सात लाख उनतीस हजार) खातों का डाटा इन्ट्री किया जा चुका है। शेष खातों का डाटा इन्ट्री का कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–7/वि.स. (अल्पसूचित) – 489/15 878/रा., दिनांक– 12-03-15

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–748/वि.स., दिनांक–04.03.2015 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (सामान्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/3/15
सरकार के उप सचिव

(80)

श्री दीपक बिरूवा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–13.02.15 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–11 का प्रश्नोत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि प0सिंहभूम जिलान्तर्गत चाईबासा स्थित खासमहाल भूमि का लीज नवीनीकरण विगत 20 वर्षों से नहीं हुआ है।	खास महाल भूमि के लगभग 800 मामलों का लीज नवीकरण/अंतरण किया जा चुका है।
2. क्या यह बात सही है कि बिहार इस्टेट खासमहाल मैनुयल 1953 के प्रावधानो पर निर्गत पुराने आदेशों को संशोधित करते हुए उपायुक्त को 0.50 एकड़ और प्रमण्डलीय आयुक्त को 0.50 एकड़ से अधिक खासमहाल भूमि के लीज नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत किया गया है।	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त आदेश के आलोक में चाईबासा स्थित खासमहाल भूमि का लीज नवीनीकरण करने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	लीज नवीकरण हेतु लम्बित मामलों के निष्पादन हेतु खास महाल लीज भूमि का भौतिक सत्यापन कराया जा चुका है। ताकि अनावश्यक प्रयोजन के स्वरूप में बदलाव तथा अवैध हस्तांतरण के मामलों पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जिन मामलों में मूल लीज धारी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उनका लीज नवीकरण निरंतर प्रक्रियाधीन है। छः माह के अंदर सभी लंबित मामलों जिनका आवेदन मूल लीजधारी अथवा उनके वरिसानो के द्वारा किया गया है। उनका लीज नवीकरण नियमानुसार कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक –ए/खा0म0अ0सू0–316/15 742/रा0 दिनांक 09-03-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक –328 वि0स0, दिनांक--01.03.15 के प्रसंग में उपरोक्त की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–13.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलांतर्गत बांझेडीह पावर प्लांट के निर्माण के पश्चात् अब तक विस्थापितों को विस्थापन नीति नहीं बनने के कारण किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे प्रभावितों में आक्रोश है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि कोडरमा जिलांतर्गत बांझेडीह पावर प्लांट निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत् किया गया है। भू–अर्जन अधिनियम 1894 के लिए राज्य सरकार के तहत् गठित झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के तहत् बांझेडीह पावर प्लांट के निर्माण के पश्चात् विस्थापितों को विस्थापन का लाभ दिया जाना है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विस्थापितों के हित में विस्थापन नीति बनाते हुए 25 कि0मी0 के दायरे में मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक लाभ देने का विचार रखती है, यदि है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 की कंडिका–7.21 के अनुसार परियोजना स्थल की परिधि के पन्द्रह कि0मी0 के आस–पास के भौगोलिक क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होगी, परन्तु डी0वी0सी0 प्रबंधन द्वारा दस कि0मी0 के आस–पास का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। हजारीबाग जिला से पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रस्ताव अप्राप्त है जिसे प्राप्त करते हुए यथोचित कार्रवाई की जायेगी। सरकार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 का अक्षरशः अनुपालन कराने हेतु कटिबद्ध है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10बी0/भू0अ0नि0 (लि0रा0/अ0सू0) 28/15 76 /नि0रा0 दिनांक- 11-03-15

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–527 वि0स0, दिनांक–01.03.15 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव का कार्यालय, झारखण्ड राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/15
सरकार के उप सचिव

E:\[illegible]

(82) 311 12-03-15

श्रीमति मेनका सरदार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-28 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्रीमति मेनका सरदार, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका एवं डुमरिया प्रखंड में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र / छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु आई0टी0आई0 केन्द्र (संस्थान) नहीं है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात भी सही है कि खंड-1 में वर्णित प्रखंडों में आई0टी0आई0 संस्थान नहीं रहने के कारण वहाँ के छात्र / छात्रा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पोटका एवं डुमरिया प्रखंड में आई0टी0आई0 संस्थान खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष-2014-15 एवं आगामी वित्तीय वर्ष-2015-16 में पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका एवं डुमरिया प्रखंड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

13/03/15

सरकार के उप सचिव

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,

झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)-11/2015-311 राँची, दिनांक :- 12-03-15

प्रतिलिपि :- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-697 दिनांक-04.03.2015 के प्रसंग में 200 चक्रवालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/03/15

सरकार के उप सचिव

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,

झारखंड, राँची।

(83)

श्री रवीन्द्र नाथ भक्तो, मा0 स0 वि0 स0, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–09 के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	जामताड़ा जिला अन्तर्गत नाला, कुण्डहीत एवं नवसृजित फतेहपुर प्रखण्ड के उप स्वास्थ्य केन्द्र में कुल कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत है, तथा कितने कार्यरत है ;	जामताड़ा जिला अन्तर्गत नाला, कुण्डहीत एवं नवसृजित फतेहपुर प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 32 स्वास्थ्य उप केन्द्र हैं। इसमें चिकित्सकों का पद सृजित नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य उप केन्द्रों में चिकित्सक के पद का प्रावधान नहीं है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या रिक्त पदों पर चिकित्सकों को नियुक्त कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	चूँकि स्वास्थ्य उप केन्द्रों में चिकित्सक के पद का प्रावधान नहीं है। अतः चिकित्सक के पद सृजन एवं नियुक्ति का विचार नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 33/वि0 स0–03–10/2015 303 (3) राँची, दिनांक 11/3/15

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 214 दिनांक 27.02.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/15

सरकार के संयुक्त सचिव

(84)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय रा०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.15 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं 41 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा विधान सभा क्षेत्र के रंका प्रखण्ड में सोनदाग, चिरोई खुर्द, चुटिया, चुतरू एवं दूधवल में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र अब तक संचालित नहीं है।	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्रों के आभाव में सैकड़ों गरीब रोगी प्राथमिक स्वास्थ्य लाभ सुविधा से वंचित रह रहे हैं।	अस्वीकारात्मक है। ग्राम सोनदाग के ग्रामीणों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रंका से ग्राम चिरोई खुर्द के ग्रामीणों को स्वास्थ्य उप केन्द्र रिगरिया जिला से ग्राम चुटिया के ग्रामीणों को स्वास्थ्य उप केन्द्र मोहरमाना से ग्राम चुतरू एवं दूधवल के ग्रामीणों को स्वास्थ्य उपकेन्द्र बान्दु से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त पंचायत मुख्यालय में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रखण्ड रंका के ग्राम चुतरू, चिरोई खुर्द, सोनदाग में स्वास्थ्य उप केन्द्र जिला कार्य योजना से प्रस्तावित है। भूमि उपलब्धता एवं बजट में राशि की उपलब्धता के अनुरूप स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन निर्माण के बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा। ग्राम दुधवल में स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन निर्माणाधीन है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 6/पी0 वि0स0 (अ0सू0)–19/2015 121(6) स्वा0, राँची, दिनांक : 11.03.15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के पत्रांक 686 दिनांक–04.03.15 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार अवर सचिव

Bhags/Vidhansabha/2

(85)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.15 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं–42 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला में सरकार द्वारा कई अस्पतालों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें संवेदकों को लाभ पहुँचाने के लिए निविदा के आवश्यक नियम एवं शर्तों को ताक में रखकर टेण्डर दिया गया है।	विभागीय पत्रांक–116 (6) दिनांक 11.03.15 द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत निविदा/टेन्डर निष्पादन में अनियमितता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत विधिवत अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त निर्माण कार्य का प्राक्कलन अधिक बनाया गया है, इसके बावजूद घटिया निर्माण कार्य कराकर भारी लूट की साजिश चल रही है। सरकारी राशि की लूट को रोकना राज्य हित में आवश्यक है।	प्राप्त प्रश्न के आलोक में योजनाओं का प्राक्कलन अधिक बनाने एवं घटिया निर्माण कार्य के संबंध में विभागीय पत्रांक–111(6) दिनांक–10.03.15 द्वारा मुख्य अभियंता, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त विधिवत कार्रवाई की जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार निविदा प्रक्रिया में हुई अनियमितता अधिक प्राक्कलन बनाने वाले अभियंताओं पर कार्रवाई एवं संवेदकों को गुणवत्तायुक्त काम नहीं करने को विवश कर, घटिया निर्माण कार्य करने वाले संवेदकों पर सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 6/पी० वि०स० (अ०सू०) 20/2015 122 (6) स्वा०, राँची, दिनांक : 11-03-15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के पत्रांक–692 दिनांक–04.03.15 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/15

सरकार उप सचिव

Bhagat/vidhansabha/5

(86)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 13-03-2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–40 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्ता– श्री जगरनाथ महतो, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखण्ड अन्तर्गत नागबाद पंचायत के भंडारे में निर्मित अस्पताल विभाग को नवम्बर 2009 में सुपुर्द किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। मंडारो में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, डुमरी को वर्ष 2011 में हस्तगत कराया गया है।
2-	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखण्ड अन्तर्गत नागबाद पंचायत के भंडारी में लगभग पाँच वर्ष पूर्व अस्पताल करोड़ो का लागत से निर्माण किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अस्पताल में आजतक किसी तरह का चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है ;	उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा सुविधा हेतु निम्न प्रकार चिकित्सक/चिकत्सा कर्मी प्रतिनियुक्त हैं– i). चिकित्सक - 2 . ii)स्वास्थ्य प्रशिक्षक - 1 iii) ए0एन0एम– 2 iv) महिला कक्ष सेविका– 1
4-	क्या यह बात सही है कि चिकित्सा सुविधा नहीं होने से आम जनता को काफी परेशानी होती है, यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0 08 05/15 90(15) राँची, दिनांक– 11-3-15
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 689 दिनांक– 04-03-15 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/15
सरकार के संयुक्त सचिव

Thwari

87

श्री केदार हाजरा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 13-03-2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–13 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता– श्री केदार हाजरा, स० नि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में जमुआ प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन एवं अन्य सरकारी उपकरण उपलब्ध है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि एक्सरे मशीन एवं अन्य सरकारी उपकरण टेकनिशियन के अभाव में अब तक बंद पड़ा है ;	नकारात्मक। एक्सरे मशीन तकनिशियन के रूप में श्री प्रदीप कुमार मंडल पदस्थापित हैं।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जमुआ प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अविलंब टेक्नीशियन की नियुक्ति कर बन्द पड़े उपकरणों से क्षेत्रान्तर्गत जनता को स्वास्थ्य सुविधा दिलाने पर विचार करेगी है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/विधान–सभा–03/15 वि०नि० (15) रांची, दिनांक 11-03-15
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या अ०– 331 दिनांक– 04-03-15 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/15
सरकार के संयुक्त सचिव

Pawan

88

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, सा0वि0स0 द्वारा दिनांक 13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0– अ.सू. 21 का उत्तर संभावी

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल में भूमि सुधार एवं जनवृत्त (डी.सी.एल.आर.) हैदरनगर तथा मोहम्मदगंज प्रखण्ड में अंचल पदाधिकारी का पद रिक्त है.	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड में रिक्त पदाधिकारियों के पदस्थापन नहीं होने से आम नागरिक को काफी परेशानी हो रही है तथा सरकार को भी राजस्व की हानि होती है.	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल में भूमि सुधार एवंजनवृत्त (डी.सी.एल.आर.) हैदरनगर तथा मोहम्मदगंज प्रखण्ड में अंचल पदाधिकारी का पदस्थापन करने जा रही है, यदि, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना संख्या 3668 दिनांक 30.09.2014 द्वारा मेरे अनुमंडल नहीं भूमि सुधार एवं राजस्व कार्य के निष्पादन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को भूमि सुधार एवं राजस्व की शक्ति प्रदत्त की गई है (छाया प्रति संलग्न) – विभागीय पत्रांक 3828 दिनांक 24.06.14 द्वारा रिक्त अंचलों में राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु निकटवर्ती अंचल के अंचलाधिकारी को स्थानीय अंचलों का प्रभार कराये जाने हेतु सभी उपायुक्त को निदेश दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न) विभागीय पत्रांक–673, दिनांक-02.03.2015 तथा पत्रांक-304 दिनांक 02.02.2016 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के कनीय ग्रेड लोअर के पदाधिकारियों तथा विभागीय पत्रांक–621, दिनांक–19.02.16 तथा 340, दिनांक–21.03.2015 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के वैधिक ग्रेड के 70 (सीहत्तर) पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार से किया गया है। (छायाप्रति संलग्न) पदाधिकारियों की सेवा विभाग को प्राप्त होने के पश्चात पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल में भूमि सुधार एवंजनवृत्त (डी.सी.एल.आर.) हैदरनगर तथा मोहम्मदगंज प्रखण्ड में अंचल पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, रांची।

ज्ञापांक 2/राजस्व (वि.प्र.) 14/2016 839/र. दिनांक 11-03-15

प्रतिलिपि सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0 894/वि.स. दिनांक 04.03.2015 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सामान्य विभाग, झारखण्ड, रांची / उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / विभागीय अधिसूचना 12 (लगभग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

11/3/15

सरकार के उप सचिव

Vidhan sabha (all)

27

श्री अरूप चटर्जी, स०वि०रा० द्वारा दिनांक 13.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–16	माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड राँची ।
क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :	
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि अनुरोध भुइयाँ (उम्र 34 वर्ष), पिता–स्व० मोष भुइयाँ, साकिन जयरामपुर पोलपरी, पो० जीनागोड़ा (धनबाद), जिला धनबाद की मृत्यु दिनांक 07.09.2014 को करंट से हो गया था ।	1. स्वीकारात्मक है ।
2. क्या यह बात सही है कि मृतक के आश्रित को दिनांक–26.02.2015 तक भी आपदा प्रबंधन से मिलने वाले लाभ से वंचित हैं :	2. उपायुक्त, धनबाद के ज्ञापांक–177, दिनांक–12.01.2015 के द्वारा श्री अनिरुद्ध भुइयाँ, पत्नी–शांति देवी, ग्राम जयरामपुर, 2 नम्बर पीला भुइयाँ पट्टी, पो०–जीनागोड़ा, अंचल–झरिया की मृत्यु करंट से होने के कारण उनके आश्रितों को मुआवजा देने हेतु अधियाचना प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में विभागीय आदेश संख्या 45(आपदा), दिनांक 02.03.2015 द्वारा मुआवजा राशि का आवंटन उपायुक्त, धनबाद को दे दी गयी है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार अविलम्ब मृतक के आश्रितों को आपदा प्रबंधन के तहत देय राशि को दिलाने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक 05/आपदा(विधायी) 04/2015 251 /आ०प्र०, राँची, दिनांक 04/03/15

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञापांक 324/वि०स०, दिनांक 01.03.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में तथा सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीमती दुगदुग)
सरकार के अवर सचिव

(90) 307 12.03.15

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0स0-05 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती जोबा मांझी, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत मनोहरपुर प्रखंड के रायकेरा में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण का उद्घाटन दिनांक-07.06.2012 को हो चुका है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त आई0टी0आई0 भवन में प्रशिक्षण शुरू करना चाहती है, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य में नवनिर्मित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पी0पी0पी0 के अन्तर्गत किया जाना है। भारत सरकार के उपकम SAIL के अनुरोध के आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मनोहरपुर को SAIL के सहयोग से संचालित करने हेतु सहमति दी गयी है। SAIL को विभाग के द्वारा करार (MoU) का प्रारूप प्रेषित किया गया है। जिसपर हस्ताक्षरोपरांत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मनोहरपुर का भवन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित करने हेतु SAIL को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

13/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)-01/2015- 307 राँची, दिनांक :- 12-03-15

प्रतिलिपि :- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-82 दिनांक-26.02.2015 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

(91)

श्री अमित कुमार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0–03 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत सिल्ली का द्वितीय रिवेजनल सर्वे का अंतिम प्रकाशन अबतक नहीं हुआ है तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–24 सर्वे दिनांक–20.08.2003 के आलोक में सिल्ली प्रखण्ड के उत्तरी क्षेत्र में निवास करने वाले कौम मांझी उपाधिकारी बेदिया जाति के रैयतों द्वारा 600 वाद दायर किये गये है का निष्पादन अबतक नहीं किया गया है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। राँची जिला अन्तर्गत सिल्ली प्रखण्ड का द्वितीय रिविजनल सर्वे का अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है। कौम मांझी उपाधिकारी बेदिया जाति के रैयतो द्वारा कुल 610 वाद दायर किया गया था जिसका निष्पादन किया जा चुका है
2. क्या यह बात सही है कि उक्त दायर वाद के क्रम में बंदोबस्त पदाधिकारी राँची के कार्यालय द्वारा पारित आदेश में भूल सुधार कर कौम मांझी के स्थान पर बेदिया दर्ज किया जाना है, जो अबतक लंबित है ?	अस्वीकारात्मक है। सभी वादों में पारित आदेश में भूल सुधार कर कौम मांझी के स्थान पर बेदिया दर्ज किया जा चुका है।
3. क्या सरकार उक्त वाद में पारित आदेश का अनुपालन करते हुए सिल्ली प्रखण्ड के उत्तरी क्षेत्र के मांझी उपाधिकारी बेदिया जाति के खतियान में बेदिया दर्ज कर कर सर्वे का अंतिम प्रकाशन कालक करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	उक्त सभी वादों में पारित आदेश के आलोक में सिल्ली प्रखण्ड के उत्तरी क्षेत्र के मांझी उपाधिकारी बेदिया जाति दर्ज कराकर अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बंदोबस्त कार्यालयों में गेरूकर, मुंशरिम, परिमाप निरीक्षक आदि संवर्ग के कर्मियों के सेवानिवृत्ति के कारण कर्मियों का अभाव तथा राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना से भू मानचित्र (नक्शा) की छपाई में हो रहे विलंब के कारण कार्य बाधित है। कर्मियों एवं भू–मानचित्र (नक्शा) की उपलब्धता की स्थिति में सर्वे का अंतिम प्रकाशन शीघ्र कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक –2/भू0अ0भे0पा0वि0(वि0स0प्र0)–08/2015 59/रा0 दिनांक 11-03-15

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञा0 सं0 84 वि0स0, दिनांक–26.02.15 के प्रसंग में उनके की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (सन्चाय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2015

सरकार के अवर सचिव

(92)

प्रो० जय प्रकाश वर्मा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 13-03-2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या 24 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्ता– प्रो० जय प्रकाश वर्मा, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० कं० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत गाण्डेय प्रखण्ड मुख्यालय के नजदीक पूर्व से स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी०एच०सी०) है ;	स्वीकारात्मक
2-	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त स्वास्थ्य केन्द्र को बंद कर दिया गया है जिससे यहाँ के निवासियों को इलाज के लिए गिरिडीह मुख्यालय जाना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। स्थानीय ग्रामीण जनता के चिकित्सा सुविधा हेतु पूर्व से गाण्डेय प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाह्य विभाग (Outdoor) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सभी संस्थानों के साथ पुनः स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी०एच०सी०) गाण्डेय को चालू करना चाहती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–08–06/15 · 911(15) राँची, दिनांक– 11·3·15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 690 दिनांक 04-03-15 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/15

सरकार के संयुक्त सचिव

(93)

श्री राज सिन्हा, माननीय रा०वि०स० द्वारा दिनांक 13.03.15 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू० 34 से संबंधित उत्तर सामग्री।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सेशन 2009 से 2014 तक 50 छात्रों ने रैगिंग तथा अमानवीय उत्पीड़न के कारण अन्य मेडिकल कॉलेज में अपने स्थानांतरण करवाने के लिए माह फरवरी 2015 में रिम्स निदेशक को सामूहिक रूप से आवेदन सौंप दिया है।	उत्तर स्वीकारात्मक। दिनांक 09.03.2015 को छात्रों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट के संबंध में स्थानीय थानों में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इसी क्रम में पक्ष के कुल 192 छात्रों द्वारा अन्यत्र स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया गया है एवं सभी आवेदन एक समान है।
2. क्या यह बात सही है कि रिम्स में प्रताड़ना और रैगिंग की अनेक बार घटी घटनाओं का बार बार प्रकाश में आने के बावजूद इस पर कड़ाई से रोक लगाये जाने की दिशा में प्रबंधन द्वारा अबतक कोई कारगर उपाय नहीं किया जा सका है।	अस्वीकारात्मक। रैगिंग की सूचना किसी छात्र/छात्रा/अभिभावक के सीधे रिम्स प्रबंधन को प्राप्त नहीं है। रैगिंग की सूचना एंटी रैगिंग हेल्पलाईन, नई दिल्ली के द्वारा ई–मेल के जरिये प्राप्त होता है जिसकी जाँच संस्थान में गठित एंटी रैगिंग सेल के माध्यम से करायी जाती है। अभिभावक के द्वारा अबतक रैगिंग की किसी भी घटना की पुष्टि नहीं की गयी है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रैगिंग जैसे अमानवीय कृत्य पर प्रतिबंध लगाते हुए स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण तैयार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	दिनांक 03.02.2015 को घटित घटना के मद्देनजर परिसर में स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण स्थापित करने हेतु छात्रों/अभिभावकों/संस्थान के शिक्षकों/जिला प्रशासन के पदाधिकारियों एवं विभागीय प्रधान सचिव के साथ कई बैठक की गई है एवं समुचित सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हुए सुरक्षा के व्यापक दृष्टि किसने सशस्त्र फोर्स एवं पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। फलस्वरूप स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण तैयार कर दिनांक 11.03.2015 से कक्षाएँ पुनः प्रारंभ कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक 11/वि०सा०–05–02/2015 (92/11) रांची, दिनांक– 12.03.2015

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं०–अ०– 747 वि०स० दिनांक 04.03.2015 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.3.15

सरकार के उप सचिव

श्रीवा

श्री अमित कुमार महतो, वि.स. द्वारा दिनांक- 13.03.2015 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ.सू. -01 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	0
1. क्या यह बात सही है, कि रबनाहातु प्रखण्ड में जिन्दल एवं हिण्डालको कम्पनी द्वारा कृषि भूमि के साथ सी.एन.टी. एक्ट का उल्लंघन कर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। प्रश्नगत कंपनियों द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर रैयतों भूमि की खरीद की जा रही है अभी तक काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर भूमि खरीदगी का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।
2. क्या यह बात सही है कि यहाँ कि 90% जनता कृषि पर आश्रित है तथा उक्त भूमि के अधिग्रहण से 30,000 लोग विस्थापित होंगे ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। प्रश्नगत कंपनियों द्वारा प्रावधानों के तहत रैयतों से सीधे भूमि की खरीद की गई है। अभी तक किसी परिवार के विस्थापित होने की सूचना नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सी.एन.टी. एक्ट का उल्लंघन रोकेगी हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। कंपनियों द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर भूमि खरीदगी के कोई मामले की सूचना में नहीं है। ऐसे किसी उल्लंघन की सूचना पर जाँचोपरान्त विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञा.पांक-7/वि.स. (अल्पसूचित) 462/15 846/रा. दिनांक- 11-03-15

प्रतिलिपि :-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-06/वि.स. दिनांक-26.02.15 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं राजस्व विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा 12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/15
सरकार के उप सचिव।

Vidhan sabha (all)

9.5 312 12-03-15

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-43 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखंड पंचायत-सरहचिंगा में नवनिर्मित आई0टी0आई0 कॉलेज एक डेढ़ वर्ष से बंद पड़ा हुआ है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखंड पंचायत-सरहचिया में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किसी आई0टी0आई0 के भवन का निर्माण नहीं किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त आई0टी0आई0 कॉलेज खुलने से आस-पास पूरे इलाके में स्कील डेवलपमेंट शिक्षा पाने में छात्र-छात्राओं को सुविधा होगी ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसी चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में आई0टी0आई0 कॉलेज नये सत्र से प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष-2014-15 एवं आगामी वित्तीय वर्ष-2015-16 में बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखंड पंचायत-सरहचिया में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

12/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)-12/2015-312 राँची, दिनांक :- 12-03-15

प्रतिलिपि :- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-700 दिनांक-04.03.15 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

(96)

श्री केदार हजरा, मा0 रा0 वि0 स0, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 अ0 सू0–12 के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड के नवडीहा प्रा0 स्वा0 केन्द्र में एक भी चिकित्सक का पदस्थापन नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि चिकित्सक नहीं रहने से स्थानीय जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमुआ में पदस्थापित डा0 विष्णु कुमार सिंह को सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक सोमवार) अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र, नवडीहा में कार्य आवंटित किया गया है ताकि मरीजों का इलाज किया जा सके।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमुआ प्रखण्ड के नवडीहा प्रा0 स्वा0 केन्द्र में अविलंब चिकित्सक की नियुक्ति पर विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार शीघ्र ही आंशि0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, नवडीहा में चिकित्सक की पदस्थापन करेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0 सा0–01–12/2015 (3002(03)) राँची, दिनांक 11/3/15

प्रतिलिपि अपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 332 दिनांक 01.03.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/15

सरकार के संयुक्त सचिव

(97)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–13.03.15 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं -अ०सू०–36 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत बुंडू प्रखण्ड में पाच वर्ष पूर्व अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण में बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद अस्पताल अपूर्णनिर्मित है।	स्वीकारात्मक है। विभागीय पत्रांक–161(3) दिनांक–15.01.07 द्वारा अनुमण्डल अस्पताल, बुण्डू के भवन निर्माण हेतु रू0 2,61,36,691/– की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके विरूद्ध रू0 2.75 करोड़ राशि आवंटित की गई थी। उक्त योजना के मुख्य भवन का जोड़ाई, ढलाई, पलास्टर कार्य अधिकांश पूर्ण हो चुका है। उपायुक्त, राँची के पत्रांक 83(1) दिनांक–12.02.14 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निर्माणाधीन भवन राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि के अन्तर्गत आता था। अस्पताल की महत्ता को देखते हुए राजमार्ग के Alignment में परिवर्तन किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय के अनुमोदन के प्रक्रियाधीन है स्थल परिवर्तन की अध्यधीन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक- 110 दिनांक–10.07.14 द्वारा उपायुक्त से की गई है। प्रतिवेदन हेतु पुनः उपायुक्त को विभागीय अ0स0 पत्रांक 33(5) दिनांक–11.03.15 द्वारा स्मारित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अवशेष कार्यों का पुनरीक्षण प्राक्कलन तैयार कर कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
2	क्या यह बात सही है कि इस कारण इस क्षेत्र की बड़ी आबादी स्वास्थ्य लाभ से वंचित है।	अस्वीकारात्मक है। वर्तमान में ग्रामीणों को अनुमण्डलीय अस्पताल बुण्डू के पुराने भवन में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अस्पताल का निर्माण पूरा कर स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 6/पी0 वि0स0 (अ0सू0)–17/2015 130(6) स्वा0, राँची, दिनांक : 12.3.15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के पत्रांक–745 दिनांक–04.03.15 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार अवर सचिव

Jhagra/Vidhansabha/A

(98)

श्री नलिन सोरेन, मा0 सदस्य वि0 स0, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के रानेश्वर प्रखंड अन्तर्गत बांसकुली, आसनबनी एवं आनजोला आदिवासी बहुल क्षेत्र है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि बांसकुली, आसनबनी एवं आनजोला P.H.C. में अबतक चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गयी है ;	अस्वीकारात्मक रानेश्वर प्रखण्ड में तीन चिकित्सक डॉ0 जैनुल अब्दीन, डा0 सुंदर मोहन समद एवं डॉ0 कमलेश्वर मराण्डी पदस्थापित हैं । अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र, आसनबनी में प्रत्येक सोमवार को डॉ0 सुंदर मोहन समद को प्रतिनियुक्त किया गया है । इति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र बांसकुली में पूर्व में प्रत्येक शनिवार एवं द्वितीय सोमवार को डॉ0 जैनुल अब्दीन अपनी सेवायें मरीजों को देते हैं ।
3	क्या यह बात सही है कि चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण ग्रामीणों/आदिवासी को काफी कठिनाई होती है ;	अस्वीकारात्मक । खण्ड दो में स्थिति स्पष्ट की गई है ;
4	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बताए की उसरोवत P.H.C. में चिकित्सकों को नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग के स्थित चिकित्सा पदाधिकारियों के बाद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । नियुक्ति के उपरांत रिक्त पदों पर पदस्थापन पर विचार किया जायेगा ।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञा0 सं0 3/वि0स0–03–38/15 पृ0 (ट्रा) राँची, दिनांक– 12/3/15

प्रतिलिपि ,सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञा0 संख्या –213 दिनांक 27.02.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/15
सरकार के संयुक्त सचिव

(97)

श्री भानु प्रताप शाही, मा0 स0 वि0 स0, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 30.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 अ0 सू0–29 के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	नवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगरऊँटारी ट्रामा सेंटर तथा हरिहरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्षों से बन कर तैयार है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि नगरऊँटारी ट्रामा सेंटर तथा हरिहरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर, नर्स एवं उपकरणों के अभाव में अभी तक चिकित्सा व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी है जिससे क्षेत्र के हजारों गरीब आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं ;	अस्वीकारात्मक। ट्रामा सेंटर, नगरऊँटारी में दो चिकित्सक डा0 शैलेन्द्र कुमार वर्मा एवं डा0 अनुज कुमार चौधरी पदस्थापित होकर कार्यरत हैं। नगरऊँटारी स्थित पास मेडिकल कर्मियों की सेवा रोस्टर के अनुसार ट्रामा सेंटर में ली जाती है। ट्रामा सेंटर कार्यशील है एवं मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है। हरिहरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन नया है इसके लिए पद सृजित नहीं हुआ है। वर्तमान में स्वास्थ्य उप केन्द्र, हरिहरपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानान्तरित कर प्रा0 स्वा0 केन्द्र को चालू कराया गया है। शीघ्र ही एक चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इस भवन प्रा0 स्वा0 केन्द्र के लिए पदों के सृजन की कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ट्रामा सेंटर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति ऊपर के खण्डों में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 - 03/वि0 स0–03–19/2015 स/प्र (3) राँची, दिनांक 11/3/15

प्रतिलिपि उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 741 दिनांक 04.03.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/15

सरकार के संयुक्त सचिव

(100) 314/12-03-15

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-38 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत (झगड़ाखंड) भवनाथपुर तथा नगरउँटारी आई०टी०आई० कॉलेज बनकर तैयार है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनो आई०टी०आई० कॉलेजों में अभी तक पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुई है जिसके चलते क्षेत्र के आई०टी०आई० छात्र एवं छात्राओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोनो आई०टी०आई० कॉलेजों में शिक्षण सत्र प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य में नवनिर्मित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पी०पी०पी० के अन्तर्गत किये जाने के आदेश के आलोक में नवनिर्मित औ०प्र०संस्थान, नगरउँटारी का संचालन हेतु पाँचवें चरण की निविदा के उपरांत दिनांक-12.08.2014 को "रामचंद चन्द्रवंशी वेल्फेयर ट्रस्ट" का चयन किया गया है, जिनके साथ शीघ्र एम०ओ०यू० करते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जायेगा। नवनिर्मित औ०प्र०संस्थान, झगड़ाखंड हेतु पाँच चरण की निविदा आमंत्रित करने के बाद भी किसी प्रतिष्ठान द्वारा निविदा नहीं डाली गयी है। अगले चरण की निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है।

12/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि०(वि०स०)-14/2015-314 राँची, दिनांक :- 12-03-15

प्रतिलिपि :- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-750 दिनांक-04.03.2015 के प्रसंग में 200 चक्रवालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

(101)
321
12-3-15

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-08 का संशोधित उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्ता श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा 2009 में आई0टी0आई0 के 504 अनुदेशकों की बहाली हेतु विज्ञापन निकाला गया था ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि 2010 में 420 सफल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के विरुद्ध मात्र 350 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिया गया है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वर्ष-2009 में झारखंड संयुक्त प्रदेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों में से 434 उम्मीदवारों की काउंसलिंग की गयी थी जिसमें से अब तक 262 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम अर्हता नहीं रहने / काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने इत्यादि के फलस्वरूप कुल 88 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि शेष 84 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग विभागीय लापरवाही से अब तक शुरू नहीं हुई है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
4	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलंब शेष 84 पदों पर नियुक्ति हेतु 2009 परीक्षा के ही सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कर बहाली करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	434 उम्मीदवारों की काउंसलिंग के उपरांत, 262 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया एवं विभिन्न कारणों से 88 उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु योग्य नहीं पाया गया। शेष बचे 84 उम्मीदवारों की काउंसलिंग कार्मिक प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या-11243 दिनांक-20.12.95 के अनुसार नहीं करायी जा सकती है। उक्त संकल्प के अनुसार नियुक्ति हेतु पैनल एक वर्ष तक ही मान्य है।

12/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)-07/2015- 321 राँची, दिनांक :- 12-3-15

प्रतिलिपि :- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-259 दिनांक-28.02.2015 के प्रसंग में 200 पंजीकृत प्रश्नों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

(102)

श्री नलिन सोरेन, मा0 स0 वि0 स0, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 अ0 सू0–06 के संबंध में।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के रामेश्वर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, रामेश्वर आदिवासी बहुल क्षेत्र है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त चिकित्सा केन्द्र में अबतक चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गयी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामेश्वर में 2 चिकित्सक पदस्थापित हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त चिकित्सा केन्द्र में जीवन रक्षक दवाओं का घोर अभाव है ;	अस्वीकारात्मक। जीवन रक्षक दवाएँ उपलब्ध हैं।
4.	यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बताए की चिकित्सकों की नियुक्ति तथा जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति उपरोक्त चिकित्सा केन्द्र में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ऊपर के प्रश्न–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/विधि स0–03 08/2015 321 (3) राँची, दिनांक 12/3/15

प्रतिलिपि उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 अ0 212 दिनांक 27.02.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/15

सरकार के संयुक्त सचिव

103

श्री एलेन जोसेफ गोलरथन, सदस्य वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–70 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत नैक्लुरकोंगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र में चार चिकित्सक पदस्थापित हैं ;	अस्वीकारात्मक । खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत एक मात्र प्रा० स्वा० केन्द्र नैक्लुरकोंगंज है जिसमें दो चिकित्सक पदस्थापित हैं । यहाँ दो ही पद स्वीकृत है
2	क्या यह बात सही है कि उक्त चारों चिकित्सक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित होने के बाद भी अनुपस्थित रहते हैं जिसकी स्थानीय लोगों को इलाज के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है ;	आंशिक अस्वीकारात्मक । दो चिकित्सकों में से एक डॉ० हिमांशु कुमार चौधरी माह अगस्त, 2013 से बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित हैं । इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दूसरे चिकित्सक डॉ० दुर्गा टुडू कार्यरत हैं
3	यदि संयुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डायरिया, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों से पीड़ित गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के हित में स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति ऊपर के खंडों में स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 3/वि०स०–03/15 (32-03) राँची, दिनांक– 12-03-15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 687 दिनांक 04.03.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/15

सरकार के संयुक्त सचिव

(104) 313
12-03-15

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-39 का उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत कसमार प्रखंड पंचायत-मंजरा में आई0टी0आई0 कॉलेज निर्माण किया जा रहा है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मंजरा में आई0टी0आई0 कॉलेज खुलने से आस-पास पूरे इलाके में स्कील डेवलपमेंट शिक्षा पाने में छात्र-छात्राओं को सुविधा होगी ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसी चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में यथाशीघ्र निर्माण कराकर नये सत्र से प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य में नवनिर्मित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पी0पी0पी0 के अन्तर्गत किया जाना है। बोकारो जिलान्तर्गत कसमार प्रखंड में निर्माणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर "इच्छा की अभिव्यक्ति" के माध्यम से निविदा का प्रकाशन करते हुए प्रतिष्ठित कम्पनी / एन0जी0ओ0 / संस्था को संस्थान के संचालन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

13/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0रा0)-13/2015- 313 राँची, दिनांक :- 12.03.15

प्रतिलिपि :- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र संख्या-696 दिनांक-04.03.2015 के प्रसंग में 200 चक्रवालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/03/15
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

(125)

श्री अशोक कुमार, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–13.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–02 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री अशोक कुमार, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखण्ड के मौजा चमगोड़ा बारून थाना नं.–560 जमाबंदी नं.–02 का दाग नं.–7 एवं 10 कुल रकबा–21 बिघा 15 कट्ठा, 16 धूर प्रधानी जोत जमीन है जिसका नियुक्त प्रधान उस मौजा के निवासी नहीं है?		स्वीकारात्मक। प्रश्नगत जमाबंदी के कुल 07 दागों का रकबा 21 बिघा 15 कट्ठा 16 धूर जमीन है एवं नियुक्त प्रधान उक्त मौजा में निवास नहीं करते है तथा मौजा बेचिरागी है, अर्थात, उस मौजा में एक भी घर नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रधानी जोत जमीन जो कि सरकार की करोड़ों की सम्पत्ति है उसे भू–माफियाओं द्वारा प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है?		प्रश्नगत भूमि पर कच्ची सड़क का निर्माण किया गया है। तीन स्थानों पर घर बनाने के लिए लगभग तीन फीट ऊँचाई का दीवार बनाया गया है, जो प्रधान के द्वारा बनाया जा रहा था। अंचलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाई गयी है तथा फिलहाल निर्माण कार्य बंद है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रधानी जोत जमीन एवं नियुक्त प्रधान को पदच्युत करने से संबंधित जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक महागामा द्वारा अंचलाधिकारी महागामा को दी गई है?		स्वीकारात्मक है। प्रश्नगत प्रधान को पदच्युत करने का जाँच प्रतिवेदन हल्का कर्मचारी द्वारा अंचल अधिकारी को दिनांक–07.01.2015 को दिया गया है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रधान को पदच्युत करते हुए उक्त प्रधानी जमीन को राज्य सरकार के कब्जे में लाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?		अंचल अधिकारी द्वारा प्रधान को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव अभी तक उपायुक्त को भेजा नहीं गया है। चूँकि संबंधित मामला अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, प्राप्त होते ही एस.टी.टी. एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिवत् सुनवाई के उपरांत एक महिने के अंदर मामले का निष्पादन कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–7/वि.स.(अल्पसूचित)–463/2015.....877/स., राँची, दिनांक–12-03-15

प्रतिलिपि:–सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–05/वि.स., दिनांक–26.02.2015 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, कल्याण विभाग, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (सनन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

Vichan Sabha 17(Mang)